न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–186/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00186)

1. श्री नौरत पुत्र रायचंद (मृतक जरिए वारिसान)
   1/1 गुलाबी पत्नि नौरत जाति माली
   1/2 राजू पुत्र नौरत जाति माली
   1/3 ग्यारसीलाल पुत्र नौरत जाति माली
   1/4 मंगलचंद पुत्री नौरत जाति माली
   1/5 कमला पुत्री नौरत जाति माली समस्त निवासीगण ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. कानाराम पुत्र रामचन्द्र पौत्र उरजा जाति माली
2. लाडा पुत्री रामचन्द्र पौत्री उरजा जाति माली
3. कानी पुत्री रामचन्द्र पौत्री उरजा जाति माली
4. कंचन पुत्री रामचन्द्र पौत्री उरजा जाति माली समस्त निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।
6. कालू पुत्र ज्वारा जाति माली
7. प्रकाश पुत्र जोधराज जाति माली निवासी ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 22.09.2020 राजस्व वाद संख्या 116/2017 में पारित किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री, सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री, प्रदीप शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 05.
4. रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04, 06, 07 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः– 20.12.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 116/2017 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अपीलांटस/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। राजस्व वाद को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा दिनांक 01.08.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस दिनांक 01.08.2017 को जारी किए गए तथा दिनांक 09.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली तलबी हेतु नियत की गई तथा पत्रावली में दिनांक 03.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली में दिनांक 08.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता कैलाश बीजावत द्वारा वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 उपधारा 2 का उपशमित होने बाबत प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 15.09.2020 को वादी की ओर से वारिस रेकार्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दोनों ही प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनते हुए वादी के वाद को आदेश 22 नियम 3 उपधारा 2 वादी का वाद वादी की मृत्यु दिनांक 15.04.2019 से काफी पूर्व होने पर वाद के उपशमित होने पर वादी का वाद अबेट होने से दिनांक 22.09.2020 को खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 116/2017 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 02, से 04, 06 व 07 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.9.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 3 उपधारा 2 सीपीसी का स्वीकार कर वादीगण का वाद केवल इस आधार पर खारिज किया गया कि वाद पत्र दिनांक 31.7.2017 को प्रस्तुत किया है उक्त वाद की आराजी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 वर्तमान वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित है जबकि पूर्व वाद राजस्थान काश्तकारी का वाद पत्नि गुलाबी ने दिनांक 15.4.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है जिससे वादी की मृत्यु की जानकारी हो गई थी जबकि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया कि वादी की मृत्यु दिनांक 18.1.2019 को हुई तथा दिनांक 18.1.2019 के पश्चात प्रकरण में दिनांक 8.9.2020 तक सुनवाई नहीं हुई तथा दिनांक 8.9.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने उक्त वादी की मृत्यु बाबत एतराज आपत्ति या सूचना न्यायालय में प्रदत्त नहीं की गई तथा प्रकरण लॉकडाउन के कारण उक्त वारिस रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की जा सकी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अधिवक्ता बदलते हुए उक्त खारिज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो केवल मात्र तकनीकी आधार पर स्वीकार कर वादी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वाद अबेट कर खारिज किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 उपधारा 2 सीपीसी के आधार पर वादी का वाद खारिज किया गया जबकि वारिस रेकार्ड पर लेकर प्रकरण का मेरिट पर निर्णय नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 116/2017 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया है। उक्त वाद में वादी नौरत पुत्र रायचंद की मृत्यु संभवत 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादी की पत्नी गुलाबी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2019 दिनांक 15.4.2019 को हाजा न्यायालय में पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में गुलाबी द्वारा अंकित किया है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। उक्त दोनों अधिवक्ता दोनों को ही नौरत की मृत्यु की जानकारी थी। वर्ष 2019 में वादी की मृत्यु होने के कारण उक्त वाद मृत्यु दिनांक से 90 दिन उपरांत स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है। उक्त अवधि में वादी के वारिसों को रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की गई। अतः उक्त वाद उपशमित, अबैट होने के कारण सव्यय खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कथन किए कि व्यादेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय ही वादी द्वारा वादपत्र में वारिस रेकार्ड पर लेने हेतु आवेदन पेश करना था किंतु उसके द्वारा प्रकरण में अत्यधिक विलंब किया गया है। पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी नहीं होना स्वभाविक है किंतु प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता को वादी की मृत्यु की जानकारी होने के बाद भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना क्षमा योग्य नहीं है अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थन पत्र पेश करने के बाद प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी व धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया है किंतु प्रार्थना पत्र के साथ वारिसान के वकालतनामें भी पेश नहीं किए है। 212 की पत्रावली में नौरत की पत्नी गुलाबी को ही पक्षकार बनाया है जबकि नौरत के वारिस रेकार्ड पर लेने हेतु पेश किए गए प्रार्थना–पत्र में गुलाबी के अतिरिक्त 4 वारिसान ओर बताए है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। वादी का वाद अबैट होने के कारण खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया जिससे अनुसार वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष दिनांक 1.8.2017 को वाद प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 9.2.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 को नोटिस प्राप्त नहीं पुनः पेश होने पर जारी हो मिसल वास्ते इंतजार तलबी प्रतिवादी संख्या 7 व जवाब दिनांक 2.4.2018 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 2.4.2018 को पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 7 के नोटिस तलवाना पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। नोटिस तलबाना पेश होने पर जारी हो। पत्रावली इंतजार तलबी दिनांक 14.5.2018 को पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 3.1.2019 नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब आज शामिल मिसल किया गया प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का जवाब आज भी पेश नहीं करने के कारण बंद किया गया। वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 7 का नोटिस पेश करने हेतु सात दिवस का अवसर दिया गया। नोटिस पेश होने पर जारी करने के आदेश दिए। मिसल वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 15.1.2019 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 15.1.2019 को पेश हुई वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 7 का नोटिस तलवाना पेश करने हेतु निर्देशित किया गया नोटिस तलवाना पेश होने पर जारी करने के आदेश दिए। पत्रावली वास्ते नोटिस तलवाना इंतजार तलबी दिनांक 25.2.2019 को नियत की। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 13.12. 2019 नियत की गई। वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 7 का नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए0डी0 पेश करने हेतु निर्देशित किया नोटिस पेश होने पर जारी करने के आदेश दिए। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 27.1. 2020 को पेश हो। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 8.9.2020 नियत की गई। पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 उपधारा 3 वाद उपशमित होने बाबत पेश किया। मिसल वास्ते जवाब बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 14.9.2020 को नियत की। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 15.9.2020 नियत की गई। पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी पेश किया जो आज शामिल किया। वकील वादी अबैट प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देना चाहते। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 22.9.2020 को पेश हो। पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र वास्ते वाद उपशमित होने का स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश शामिल मिसल किया गया। वाद अबैट होने से खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त वाद में वादी नौरत पुत्र रायचंद जाति माली निवासी रामसर की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी। वादी की मृत्यु पर उसकी पत्नि व उनके अधिवक्ता को ज्ञात था कि वादी नौरत ने वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है। इस अधार पर मृतक नौरत की पत्नि गुलाबी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उनके पति नौरत की मृत्यु हो गई है। वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परंतु वादी नौरत की मृत्यु वर्ष 2019 में हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन पत्र अत्यधिक विलंब के बाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद अबैट होने से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते समय उन्हें प्रकरण को तकनीकि आधार पर निर्णित नहीं कर उन्हें उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए था। चूंकि उक्त प्रकरण में वादी की मृत्यु बाबत सूचना उनके वारिसान द्वारा समय पर न्यायालय को नहीं दी गई क्यों कि पक्षकारान उक्त न्यायिक प्रक्रिया से अवगत नहीं थे। चूंकि लॉकडाउन के कारण वादी की मृत्यु बाबत सूचना न्यायालय को वादी व उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण में नरम रूख अपनाते हुए वाद को तकनीकि आधार पर नहीं वरन उभयपक्षों को प्रकरण के गुणावगुण पर सुनते हुए निर्णित करना चाहिए था। जिससे पक्षकारों के हित प्रभावित नहीं होते व उन्हें न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को उक्त प्रकरण में साक्ष्य व सनुवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर निर्णय करनी चाहिए था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 116/2017 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ऐसी स्थिति में-उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.9.2020 पारित करते समय विधिक एवं तकनीकि त्रुटि कारित की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 116/2017 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि **वादी, प्रतिवादी को 1000 रूपए कोस्ट अदा करे** कोस्ट अदा करने पर अधीनस्थ न्यायालय वाद पत्र को पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण से जवाब प्राप्त कर वादपत्र में तनकीयात कायम कर, तनकी पर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली पर संलग्न समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20/12/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner